



उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०,  
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ - 226001

U.P. RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.

14-ASHOK MARG, SHAKTI BHAWAN, LUCKNOW - 226001

फैक्स नं०. 0522-2286643  
नं०. 0522-2287701

सं०: 1049 -मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2012- 50-मा०सं०प्र०-02/2007

दिनांक : 17 मई, 2012

### अधिसूचना

उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० 'आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन' में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली-1998 सपटित उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ज्येष्ठता विनियमावली-2008 (अद्यतन संशोधित) को अग्रतर संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :-

#### उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता(संशोधन) विनियमावली -2012

- 1 संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-
  - (1) यह विनियमावली उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता(संशोधन) विनियमावली -2012 कही जायेगी।
  - (2) यह 17 जून 1995 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।
- 2 उ०प्र० राज्य विद्युत परिषद सेवक ज्येष्ठता विनियमावली -1998 सपटित उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० ज्येष्ठता विनियमावली-2008(अद्यतन संशोधित) का नियम 8-'क' निकाल दिया जायेगा।
- 3 उक्त के फलस्वरूप निगम की पूर्व में जारी अधिसूचना सं०: 665-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2008-50-मा०सं०प्र०-02/2007 दिनांक 10.04.2008 को उसके प्रभावी होने की तिथि 17.06.1995 से निरस्त माना जायेगा।

निदेशक मंडल की आज्ञा से

सं०: 1049 -(1)-मा०सं०प्र०-02/उनिलि/2012, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- (1) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
- (2) निदेशक(कार्मिक)/(तकनीकी)/(वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (3) निदेशक(कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
- (4) मुख्य अभियन्ता (स्तर-1/II), अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा(सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर(अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)।
- (5) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।
- (6) मुख्य अभियन्ता, परियोजना नियोजन अनुश्रवण एवं प्रबन्धन इकाई/तापीय परिचालन, (मा०सं०)/(ईंधन)/(सुरक्षा एवं पर्यावरण)/(जानपद)/(वाणिज्य)/(आर०एण्डएम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ।

कमश:.....2

- (7) महाप्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (8) कम्पनी सचिव, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (9) अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक, मा०सं०-०१/०२/०३/०४/०५/०६/रिफार्म/टाण्डा वाइडिंग एवं संसदीय कार्य, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ
- (10) अधीक्षण अभियन्ता(प्रशिक्षण), कक्ष सं०: ९०६, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ को निगम की वेबसाइट [www.uprvunl.org](http://www.uprvunl.org) पर अपलोड करने हेतु ।
- (11) सचिव, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (12) मुख्य प्रबन्धक(वित्त एवं लेखा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (13) समस्त उप सचिव/अधिशाली अभियन्ता/वरिष्ठ लेखाधिकारी/कार्मिक अधिकारी/लेखाधिकारी (वे० एवं ले०)/पेंशन/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, लखनऊ ।
- (14) कट फाइल ।

आज्ञा से,

(वी०पी० कटियार) 17/8/22

अधीक्षण अभियन्ता(मा०सं०-०२)